मीडिया रिलीज

दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ललित मोदी के खिलाफ सभी आदेशों को खारिज करते हुए उनके पासपोर्ट को बहाल किया

मुंबई, 27 अगस्त 2014: दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के माननीय न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद और माननीय न्यायमूर्ति विभू बख्रू ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री ललित मोदी के खिलाफ जारी सभी आदेशों को दरकिनार कर दिया और उनके पासपोर्ट को बहाल कर दिया, इसके साथ ही श्री ललित मोदी के भारत घर लौटने का रास्ता भी साफ हो गया।

श्री मोदी के पासपोर्ट को बहाल करते हुए बेंच ने कहा कि यह निरस्तीकरण आदेश अवैध है और मेनका गांधी के पासपोर्ट के निरस्तीकरण के मामले में भी यह परीक्षण को पास करने में विफल रहा था। इसके अलावा बेंच ने कहा कि असंगत और अप्रासंगिक मुद्दो से प्रभावित होने की वजह से श्री ललित मोदी के पासपोर्ट को रद्द करने का आदेश अमान्य था और इस मामले में ऐसे किसी गंभीर मुद्दे का पता नहीं चल सका है जो पासपोर्ट निरस्तीकरण के औचित्य को साबित कर सके। बेंच ने देखा कि श्री मोदी ने सभी आवश्यक दस्तावेजों को पेश करने के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जांच की पेशकश भी की थी लिहाजा निरस्तीकरण के आदेश वैध नहीं थे।

बेंच ने ये भी कहा की फेमा के तहत समन्स का पालन ना करने पर विशिष्ट और वैधानिक प्रक्रियाओं का प्रावधान है और आम जनता के हित को आधार बनाकर उनके पासपोर्ट का निरस्तीकरण करना वैध नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच द्वारा पारित इस ऐतिहासिक फैसले पर टिप्पणी करते हुए **आईपीएल के संस्थापक और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री ललित मोदी** नें कहा कि ये एक लंबी और कठिन लड़ाई थी जिसमें आज में निर्दोष साबित हुआ हूं। मैंने हमेशा कानूनी प्रणाली में विश्वास किया है और अंत में न्याय की विजय हुई है। वस्तुतः झूठी बातों पर आधारित मामले हमारी कानूनी प्रणाली के सामने नहीं टिक सकते और मैं इसके लिए न्यायालय का आभारी हूँ। मैं हमेशा से भारत लौटने को उत्सुक रहा हूँ और अब मै देर करने के बजाय जल्द भारत लौटूंगा। लेकिन अपने इस प्रिय खेल की सफाई और इसे दूषित करने वाली हर चीज के खिलाफ मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी।

श्री ललित मोदी को इस साल के शुरूआत में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गए था। इस फैसले और उनकी पासपोर्ट की बहाली के बाद भारत लौटने में श्री ललित मोदी के राह में अब कोई बाधा नहीं है।

इस साल फरवरी में माननीय बंबई उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने भी श्री ललित मोदी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही के लिये ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की मांग को दरकिनार कर दिया था। न्यायमूर्ति वजीफदार और न्यायमूर्ति कोलाबावाला की बेंच ने दोनों मामलों में एक ही फैसला सुनाया था। इन दो मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का मामला शामिल है जिसमें एंजेसी के भरोसे वाले कई दस्तावेजों की आपूर्ति नहीं की गई है और कायम की गई राय पूरी तरह से अप्रांसगिक है। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को नये सिरे से कारण बताओ नोटिस जारी करने का विकल्प दिया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।